2015 का विधेयक सं.28

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 30 जून, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 27 का संशोधन.- राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की विद्यमान धारा 27 में,-

(i) उप-धारा (4) के द्वितीय परन्तुक के अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और भी कि जहां किसी सोसाइटी की समिति धारा 30 के अधीन हटा दी गयी है और इस प्रकार हटायी गयी समिति की मूल अवधि का शेष भाग इसकी मूल अवधि के आधे से अधिक है, तब इस प्रकार हटायी गयी समिति की अवधि के शेष भाग के लिए समिति का निर्वाचन किया जा सकेगा, किन्तु जहां समिति इसकी मूल अवधि के आधे की समाप्ति के पश्चात् हटायी गयी है, वहां सोसाइटी की समिति की पूर्ण अवधि के लिए निर्वाचन, राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा सहकारी सोसाइटियों के भिन्न-भिन्न स्तरों के निर्वाचन साथ-साथ कराने के प्रयोजन के लिए विनिश्चित किये गये समय पर करवाये जायेंगे।"।

3. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 30 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 30 में,-

(i) विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(1) जहां-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी की समिति,-

(i) लगातार व्यतिक्रम करती है; या

(ii) इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों द्वारा उस समिति पर अधिरोपित अपने कर्तव्यों के पालन में उपेक्षा करती है; या

(iii) सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करती है; या

(ख) समिति के गठन या उसके कृत्यों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है,

वहां किसी प्राथमिक सोसाइटी के मामले में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान, और किसी शीर्ष सोसाइटी के मामले में राज्य सरकार, समिति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, समिति को हटा सकेगी और समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, सोसाइटी की समिति का निर्वाचन होने तक, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के उपबंध भी लागू होंगे।"; और

(ii) विद्यमान उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(3) इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के

समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की और ऐसी समस्त कार्रवाइयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।"।

4. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 में नयी धारा 30-ग का अन्त:स्थापन.- (1) मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 30-ख के पश्चात् और विद्यमान धारा 31 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्त:स्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"30-ग. समिति की अवधि पूर्ण होने पर प्रशासक की नियुक्ति.- (1) जहां विद्यमान समिति की अवधि समाप्त हो गयी है और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों या तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, चाहे किसी भी कारण से, नयी समिति के लिए निर्वाचनों का संचालन करने में असफल रहा है, वहां रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, सोसाइटी की समिति का निर्वाचन होने तक, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) इस प्रकार नियुक्त किये गये प्रशासक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की और ऐसी समस्त कार्रवाइयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।"।

5. 2002 के राजस्थान अधिनियम सं. 16 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"**32. सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन.-** किसी सहकारी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन इस अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों और उप-विधियों के उपबंधों के अनुसार संचालित किया जायेगा।"।

6. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 6) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, भिन्न-भिन्न सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन भिन्न-भिन्न समय पर संचालित किये जा रहे थे, जिससे यह अनिवार्य हो जाता था कि पूरे वर्ष के दौरान एक या दूसरी सहकारी सोसाइटियों में निर्वाचन निरन्तर होते रहते थे, जो कि प्रशासनिक रूप से और साथ ही साथ वित्तीय रूप से भार ड़ालने वाला था।

चूंकि प्राथमिक सोसाइटियों के निर्वाचित अध्यक्ष, केन्द्रीय सोसाइटियों में उनकी सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और केन्द्रीय सोसाइटियों के निर्वाचित अध्यक्ष, शीर्ष सोसाइटियों में उनकी सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, कई केन्द्रीय और शीर्ष सोसाइटियों की समितियां, भिन्न-भिन्न सहकारी सोसाइटियों में निर्वाचनों के भिन्न-भिन्न समय के कारण, अपनी अवधि पूर्ण करने में समर्थ नहीं थीं।

इस समस्या को कम करने के लिए यह समुचित समझा गया कि भिन्न-भिन्न सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन, समसामयिक रीति से करवाये जायें ताकि उनकी समितियों की अवधि लगभग एक ही समय पर समाप्त हो।

इसे क्रियान्वित करने के लिए यह आवश्यक और वांछनीय समझा गया था कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) की धारा 27, 30 और 32 को संशोधित किया जाये, यतः इस अधिनियम में एक नयी धारा 30-ग भी जोड़ी जानी प्रस्तावित थी।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 30 जून, 2015 को राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 6) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 1 जुलाई, 2015 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अजय सिंह,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 (2002 का अधिनियम सं. 16) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

27. समिति की नियुक्ति.- (1) से (3) XX XX XX XX XX

(4) समिति के निर्वाचित सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की पदावधि निर्वाचन की तारीख से पांच वर्ष की होगी और पदाधिकारियों की पदावधि समिति की अवधि की सहावसानी होगी:

परन्तु समिति, किसी आकस्मिक रिक्ति को नामनिर्देशन द्वारा उसी वर्ग के सदस्यों में से जिसके संबंध में आकस्मिक रिक्ति हुई है, भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधि के आधे से कम है:

परन्तु यह और कि यदि समिति में कोई आकस्मिक रिक्ति हो गयी है और समिति की अवधि उसकी मूल पदावधि के आधे से अधिक है, तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नामनिर्देशन या यथास्थिति, सहयोजन द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्देशित या, यथास्थिति, सहयोजित सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

30. समिति या उसके सदस्य का हटाया जाना.- (1) जहां-

(क) सहकारी सोसाइटी की समिति,-

(i) लगातार व्यतिक्रम करती है; या

(ii) इस अधिनियम या नियमों या उप-विधियों द्वारा उस समिति या सदस्य पर अधिरोपित अपने कर्तव्यों के अनुपालन में उपेक्षा करता है; या

(iii) सोसाइटी या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करती है; या

(ख) समिति के गठन या उसके कृत्यों में गतिरोध उत्पन्न हो गया है; या

(ग) विद्यमान समिति की अवधि समाप्त हो गयी है और राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी इस अधिनियम या

तदधीन बनाये गये नियमों के अनुसार नयी समिति के लिए निर्वाचन कराने में असफल रहा है,

वहां किसी प्राथमिक सोसाइटी के मामले में जोनल रजिस्ट्रार, किसी केन्द्रीय सोसाइटी के मामले में रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी, राजस्थान, और किसी शीर्ष सोसाइटी के मामले में राज्य सरकार, समिति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, समिति को हटा सकेगी और समिति के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए, किसी सरकारी सेवक को, छह मास से अनधिक की कालावधि के लिए, प्रशासक के रूप में नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु जहां कोई सरकार का शेयर धारण या सरकार द्वारा कोई उधार या वित्तीय सहायता या कोई प्रत्याभूति नहीं हो, वहां किसी सोसाइटी की समिति अतिष्ठित नहीं की जायेगी:

परन्तु यह और कि बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 10) के उपबंध भी लागू होंगे:

परन्तु यह भी कि बैंककारी का कारबार करने वाली किसी सहकारी सोसाइटी की दशा में, इस खण्ड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानों कि "छह मास" शब्द के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द रखे गये थे।

(2) XX XX XX XX XX

(3) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त प्रशासक,-

(क) उस उप-धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर निर्वाचनों का संचालन करने के लिए व्यवस्था करेगा और निर्वाचित समिति को प्रबन्धन सौंपेगा; और

(ख) प्रशासक को, नयी समिति के निर्वाचित होने तक, रजिस्ट्रार के नियंत्रण और ऐसे निदेशों के, जो वह समय-समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, निर्वाचित समिति के समस्त कृत्यों या कृत्यों में से किसी भी कृत्य का पालन करने की शक्ति होगी और ऐसी

समस्त कार्रवाईयां करने की शक्तियां होंगी, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हों।

XX XX XX XX XX

32. सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन.- समिति का निर्वाचन उस समिति की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित किया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि समिति के नव-निर्वाचित सदस्य, पदावरोही समिति के सदस्यों की पदावधि के अवसान होते ही तुरन्त पद ग्रहण करलें।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 28 of 2015

The Rajasthan Co-Operative Societies (Amendment) Bill, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th June, 2015.

2. Amendment of section 27, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In the existing section 27 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing punctuation mark ".", appearing at the end of second proviso of sub-section (4), the punctuation mark ":" shall be substituted; and

(ii) after existing sub-section (4), so amended, the following new proviso shall be added, namely:-

"Provided also that where the committee of a society is removed under section 30 and the remainder of the original term of the committee so removed is more than half of its original term, then the elections to the committee may be held for the remainder of the term of the committee so removed, but where the committee is removed after completion of half of its original term, elections to the committee of the society for a full term shall be held at a time decided by the State Co-operative Election Authority for the purpose

of synchronizing elections of different tiers of the co-operative societies.".

3. Amendment of section 30, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- In section 30 of the principal Act,-

(i) for the existing sub-section (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) Where-

(a) the committee of a co-operative society

(i) persistently makes default; or

(ii) is negligent in the performance of its duties imposed on it by this Act or the rules or the bye-laws; or

(iii) commits any act prejudicial to the interest of the society or its members; or

(b) there is stalemate in the constitution or functions of the committee,

the Zonal Registrar, in case of a primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, in case of a central society and the State Government, in case of an apex society may, after giving the committee a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society till the elections are held to the committee of the society:

Provided that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) shall also apply."; and

(ii) for the existing sub-section (3), the following shall be substituted, namely: -

"(3) The Administrator so appointed shall have powers to perform all or any of the functions of the elected committee and take all

such actions as may be required in the interest of the society, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may give from time to time.".

4. Insertion of new section 30-C, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- (1) After the existing section 30-B and before the existing section 31 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"**30-C. Appointment of Administrator on completion of term of the committee.-** (1) Where the term of existing committee has expired and the State Co-operative Election Authority has failed to conduct elections for a new committee, for whatever reason, in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder, the Registrar may, by an order in writing, appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society till the elections are held to the committee of the society.

(2) The Administrator so appointed shall have powers to perform all or any of the functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may give from time to time.".

5. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 16 of 2002.- For the existing section 32 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"**32. Election of Co-operative Society.-** The election to the committee of a co-operative society shall be conducted as per the provisions of this Act and the rules and bye-laws made thereunder.".

6. Repeal and savings.- (1) The Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 6 of 2015) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Under the existing provisions of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), elections to different co-operative societies were conducted at different times, which made it imperative that elections were to be continued in one or the other co-operative societies throughout the year, which was taxing administratively as well as financially.

Since the elected chairpersons of primary societies represent their societies at the central societies and the elected chairpersons of the central societies represent their societies at the apex societies, the committees of many central and apex societies were not able to complete their full term due to different timing of elections in different co-operative societies.

To alleviate this problem it had been considered proper to conduct elections to different co-operative societies in a synchronized manner so that the terms of their committees end more or less at the same time.

To implement this, it was felt necessary and desirable to amend sections 27, 30 and 32 of the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001 (Act No. 16 of 2002), whereas one new section, namely 30-C was also proposed to be added in the Act.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2015 (Ordinance No. 6 of 2015) on 30th June, 2015, which was published in Rajasthan Gazette Extraordinary, Part IV(B) dated 1st July, 2015.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

अजय सिंह,

Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 2001
(Act No. 16 of 2002)

XX XX XX XX XX XX XX

27. Appointment of Committee.- (1) to (3) xx xx xx xx xx

(4) The term of office of the elected members of the committee and its office bearers shall be five years from the date of election and the term of office bearers shall be co-terminus with the term of the committee:

Provided that the committee may fill a casual vacancy on the committee by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the committee is less than half of its original term:

Provided further that if a causal vacancy on the committee has arisen and the term of office of the committee is more than half of its original term, such vacancy shall be filled up by election, nomination or co-option, as the case may be, and the member so elected, nominated or co-opted, as the case may be, shall hold the office for the remainder of the term.

(5) xx xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX XX

30. Removal of Committee or Member thereof.- (1) Where-

(a) the committee of a co-operative society

(i) persistently makes default; or

(ii) is negligent in the performance of its duties imposed on it or him by this Act or the rules or the bye-laws ; or

(iii) commits any act prejudicial to the interest of the society or its members; or

(b) there is stalemate in the constitution or functions of the committee; or

(c) the term of the existing committee has expired and the State Co-operative Election Authority has

failed to conduct elections for a new committee in accordance with the provisions of this Act or the rules made thereunder,

the Zonal Registrar, in case of primary society, the Registrar, Co-operative Societies, Rajasthan, in case of a central society and the State Government in case of an apex society may, after giving the committee a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, remove the committee and appoint a Government servant as an Administrator to manage the affairs of the society for a period not exceeding six months:

Provided that the committee of a society shall not be superseded where there is no Government share holding or loan or financial assistance or any guarantee by the Government:

Provided further that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of the Banking Regulation Act, 1949 (Central Act No. 10 of 1949) shall also apply:

Provided also that in case of a co-operative society carrying on the business of banking, the provisions of this clause shall have effect as if for the words "six months", the words "one year" had been substituted.

(2) xx xx xx xx xx xx

(3) The Administrator appointed under sub-section (1) shall,-

(a) arrange for conduct of elections within the period specified in that sub-section and hand over the management to the elected committee; and

(b) till the time the new committee is elected, subject to the control of the Registrar and to such instructions as he may from time to time give, have powers to perform all or

any of the functions of the elected committee and take all such actions as may be required in the interest of the society.".

XX XX XX XX XX XX XX

32. Election of Co-operative Society.- *The Election of a committee shall be conducted before the expiry of the term of the committee so as to ensure that the newly elected members of the committee assume office immediately on the expiry of term of the office of members of the outgoing committee.".*

XX XX XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.28

राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(अजय सिंह, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 28 of 2015

THE RAJASTHAN CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Special Secretary.

(Ajay Singh, Minister-Incharge)